न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 167 / 22 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2022 / 316

श्री देवीलाल बनाम श्री राज. राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 08.07.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमें बताया कि मौजा वडगांव पटवार हल्का वडगांव तहसील भीण्डर जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या 14 की खसरा संख्या 665 / 11 रकबा 12 विघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड थी। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त कृषि भूमि का अंकन नवीन जमाबंदी में नहीं बताने से प्रार्थना पत्र शुद्धि का पेश कर नवीन सेटलमेंट के बाद हुई त्रुटि को दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया तथा अपनी रिपोर्ट में बताया कि गत जमाबंदी संवत् 2050–53 के आराजी सं. 665 / 11 कुल किता 01 कुल रकबा 12 बीघा भूमि खातेदारान घासी पिता खुमा 1 / 5, जेता, देवीलाल, जगदीश, श्यामुबाई, सुगनाबाई, गणेशीबाई, सोहनीबाई पिता पेमा, प्रेमीबाई बेवा पेमा 1 / 5, भंवरलाल, गमेरलाल पिता नंदा 1 / 5, कमलचंद, पुरणमल पिता सवा 1 / 5, गंगाराम पिता खुमा 1 / 5 जाति कीर सा. नयाघर प. वडगांव रहन CBI हिता हिस्सा भंवरलाल, गमेरलाल, गंगाराम, घासी, पुरणमल, कमलचंद के संपूर्ण हिस्सा होकर दर्ज रिकार्ड हैं। साबिक आराजी न. 665 / 11 किता 01 रकबा 12–00 बीघा भूमि मेवाड सेटलमेंट ये वापी पट्टा से मोडसिंह पिता भवानी सिंह राजपुत सा. बजामगरी गैर खातेदार से दर्ज रिकार्ड हुई जिसकी गत लठ्ठा शेट में तरमीम दर्ज नहीं हैं।
3. तहसीलदार भीण्डर द्वारा साबिक आराजी न. 665 / 11 रकबा 12–00 बीघा भूमि का सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड में खाता कायम नहीं करना बताया तथा बताया कि मौका निरीक्षण दौरान आराजी न. 665 / 11 के खातेदारान की कब्जेशुदा भूमि जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी सं. 1604, 1601, 1600, 1599, 1598, 1596, 1597, 1595, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586 कुल किता 15 कुल रकबा 3.6000 है, किस्म बिलानाम सरकार प्रार्थी खातेदार के कब्जे होकर काश्तकारी उपयोग में लिया जाना बताया तथा प्रार्थीयान की मौके पर कब्जेशुदा भूमि मिलान खसरा अनुसार साबिक आराजी न. 664 मी. से है जो कि उक्त खातेदारान की वर्तमान खातेदारी भूमि से संलग्न है। जिसके साबिक आराजी 664 / 4 है।
4. तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि कब्जेशुदा भूमि में से आराजी सं. 1604 रकबा 0.6000 है. 1601 रकबा 0.2500 है., 1599 रकबा 0[illegible] 1595 रकबा 0.2500 है. 1592 रकबा 0.4500 है. संपूर्ण व आ.सं. 1600 रकबा 0.6000 है [illegible]. 1596 रकबा 0.4000 है. में से 0.2000 है. कुल किता 07 कुल रकबा 2.6000 [illegible] किस्म बिलानाम सरकार भूमि पर प्रार्थीगान की खातेदारी थी जिसका नक्शा [illegible] किया गया तथा जिसका सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड में खाता कायम नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:17:55 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की मौजा वडगाव पटवार हल्का वडगांव की जमाबंदी संवत् 2050–53 की आराजी न. 665 / 11 रकबा 12 विघा प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड थी। नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थीगण की साबिक आराजी न. का नवीन जमाबंदी में अंकन नही किया गया

जिरो दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट की अध्ययन से पाया की गत जमाबंदी संवत् 2050–53 के आराजी सं. 665/11 कुल किता 01 कुल रकबा 12 बीघा भूमि खातेदारान धारी पिता खुमा 1/5, जेता, देवीलाल, जगदीश, श्यामुबाई, सुगनाबाई, गणेशीबाई, सोहनीबाई पिता पेमा, प्रेमीबाई बेवा पेमा 1/5, भंवरलाल, गमेरलाल पिता नंदा 1/5, कमलचंद, पुरणमल पिता रावा 1/5, गंगाराम पिता खुमा 1/5 जाति कीर सा. नयाघर प. बड़गांव रहन CBI हिंता हिस्सा भंवरलाल, गमेरलाल, गंगाराम, धारी, पुरणमल, कमलचंद के संपूर्ण हिस्सा होकर दर्ज रिकार्ड हैं। साबिक आराजी न. 665/11 किता 01 रकबा 12–00 बीघा भूमि मवाद सेटलमेंट से बापी पट्टा से मोडसिंह पिता भवानी सिंह राजपुत सा. बजामगरी गैर खातेदार से दर्ज रिकार्ड हुई जिसकी गत लठ्ठा शेट में तरमीम दर्ज नहीं हैं तथा साबिक आराजी न 665/11 का नवीन सेटलमेंट के बाद खाता कायम नहीं किया गया हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थीगणों का मौके पर कब्जा नवीन आराजी न. 1604, 1601, 1600, 1599, 1598, 1596, 1597, 1595, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586 कुल किता 15 कुल रकबा 3.6000 हे. पर बताया तथा काश्तकारी उपयोग में लिया जाना बताया। पटवारी हल्का द्वारा अपने मौके पर्चे में भी प्रार्थीगण का कब्जा विगत कई वर्षो से होना बताया तथा काश्त करना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा कब्जेशुदा भूमि में से आराजी सं. 1604 रकबा 0.6000 हे. 1601 रकबा 0.2500 हे., 1599 रकबा 0.4200 हे. 1595 रकबा 0.2500 हे. 1592 रकबा 0.4500 हे. संपूर्ण व आ.सं. 1600 रकबा 0.5000 हे. में से 0.4300 हे. व आ. सं. 1596 रकबा 0.4000 हे. में से 0.2000 हे. कुल किता 07 कुल रकबा 2.6000 हे. किस्म बिलानाम सरकार भूमि पर प्रार्थीयान की खातेदारी होना बताया।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू अभिलेख निरीक्षक बड़गांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सम्वत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1 की आराजी नम्बर 1604 रकबा 0.6000 हे., आराजी न. 1601 रकबा 0.2500 हे., आराजी न. 1599 रकबा 0.4200 हे., आराजी न. 1595 रकबा 0.2500 हे., आराजी न. 1592 रकबा 0.4500 हे. संपूर्ण व आराजी न. 1600 रकबा 0.5000 हे. में से 0.4300 हे. व आराजी न. 1596 रकबा 0.4000 हे. में से 0.2000 हे. कुल किता 07 कुल रकबा 2.6000 हे. किस्म बिलानाम सरकार भूमि के बजाय धारी पिता खुमा 1/5, जेता, देवीलाल, जगदीश, श्यामुबाई, सुगनाबाई, गणेशीबाई, सोहनीबाई पिता पेमा, प्रेमीबाई बेवा पेमा 1/5, भंवरलाल, गमेरलाल पिता नंदा 1/5, कमलचंद, पुरणमल पिता रावा 1/5, गंगाराम पिता खुमा 1/5 जाति कीर सा. के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है व नयाघर प. बड़गांव रहन CBI हिंता हिस्सा भंवरलाल, गमेरलाल, गंगाराम, धारी, पुरणमल, कमलचंद के संपूर्ण हिस्सा होकर दर्ज रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:17:55 IST
Reason: SelfAttested